न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 35/2019 दायर दिनाँक 23.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुरेश पुत्र शिवलाल 2. शान्ति पत्नि शिवलाल 3. कुलदीप पुत्र सुरेश नाबालिग जरिये कुदरती पिता सुरेश पुत्र शिवलाल समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शिवलाल पुत्र स्व. गणेशाराम जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री ओम प्रकाश पूनियां वकील वादी।
2. श्री दुर्जाराम पुनियां वकील प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा पीपला का बास की शहरद में खेत खसरा संख्या 294 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मु. कुआ, खसरा संख्या 295 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 296 रकबा 13.6600 हैक्टर कुल रकबा 13.7900 हैक्टर स्थित है। जो वादग्रस्त खेत है। इन वादग्रस्त खेतो की जमीन पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 का बराबर–बराबर अर्थात ¼ - ¼ हिस्सा कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत पैत्रिक है।

यह है कि वादी संख्या एक प्रतिवादी संख्या 01 का पुत्र है तथा वादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नि है। वादी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 01 का पौत्र है, जिका हिन्दू अधिकारी अधिनियाम के अनुसार दादे की जायगा में जन्म से अधिकार निहित है। वादीगण का ससूर व दादा गणेशराम का देहान्त हो चूका है। जो उक्त वादग्रस्त खेतों के पूर्व खातेदार थे। स्व. गणेशराम के स्वर्गवास के बाद उक्त खेतो का फौतगी म्युटेशन उनके पुत्र शिवलाल के नाम भरा गया। वादग्रस्त खेतो की वर्तमान खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम सम्पूर्ण रकबा दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को उसके नोशनल शेयर से वंचित रखना चाहता है।वादीगण को पूर्ण आशंका है कि प्रतिवादी संख्या एक अपने [illegible] साथियो की मदद से वादीगण को वादग्रस्त खेतो से बेदखल करके किसी अन्य को [illegible] कर देगा। उपरोक्त खेतो का मौखिक बंटवारा कर अलग–अलग [illegible] उसी अनुरूप वादीगण अपने नजरी नक्शा अनुसूची "क" में [illegible] को दर्शाया है।

दावा नजरी नक्शा अनुसूची "क" के अनुसार बंटवारा इस [illegible]र है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

(क) वादी संख्या 01 के बंट व कब्जा काश्त का खेत – मौजा पीपला का बास के खेत खसरा सं0 296 रकबा 13.6600 हैक्टर में से 3.415 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार।

(ख) वादी संख्या 02 के बंट व कब्जा काश्त का खेत – मौजा पीपला का बास कें खेत खसरा सं0 296 रकबा 13.6600 हैक्टर में से 3.415 हैक्टर भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

(ग) वादी संख्या 03 के बंट व कब्जा काश्त का खेत – मौजा पीपला का बास कें खेत खसरा सं0 296 रकबा 13.6600 हैक्टर में से 3.415 हैक्टर भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

(घ) प्रतिवादी संख्या 01 के बंट व कब्जा काश्त का खेत – मौजा पीपला का बास कें खेत खसरा सं0 296 रकबा 13.6600 हैक्टर में से 3.415 हैक्टर भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

मौजा पीपला का बास के खेत खसरा संख्या 294 रकबा 0.100 हैक्टर गैर मु0 कुआ सम्पूर्ण नजरी नक्शा अनुसार।

मौजा पीपला का बास के खेत खसरा संख्या 295 रकबा 0.1200 हैक्टर सम्पूर्ण नजरी नक्शा अनुसार।

यह है बन्टवारा प्रतिवादी संख्या 01 इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। वादीगण संख्या 01 ता 03 व प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का ¼ - ¼ हिस्सा नोशलन है। जमीन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादीगण अपने बन्ट व कब्जे काश्त की जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बंटवारा का दावा पेश है।

यह है कि प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार है –

(क) कि वादीगण का वाद मय खर्चा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 डिक्री फरमाया जावे तथा वादग्रस्त मौजा पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा की शहरद में खेत खसरा संख्या 294 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मु0 कुआ, खेत खसरा संख्या 295 रकबा 0.1200 हैक्टर खेत खसरा संख्या 296 रकबा 13.6600 हैक्टर कुल रकबा 13.7900 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण व प्रतिवादी संख्यार 01 का प्रत्येक ¼ - ¼ हिस्सा नोशनल शेयर घोषित किया जावें व इसी मुताबिक घोषित हिस्से का रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

(ख) कि मौजा पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा की शहरद में खेत खसरा संख्या 294 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मु0 कुआ, खसरा संख्या 295 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 296 रकबा 13.6600 हैक्टर कुल रकबा 13.7900 हैक्टर का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बन्टवारा में उपरोक्त वर्णितानुसार जमीन का बन्टवारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस से कर वादीगण व हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व रिकर्ड में अलग–अलग से बन्ट में दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने अपना शपथ–पत्र पेश किया। यह है कि उक्त नजरी नक्शे में दर्शित [illegible] संख्या 294 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मु. कुआ, [illegible] 1200 हैक्टर, खसरा संख्या 296 रकबा 13.6600 [illegible] व प्रतिवादी संख्या 01 ने राजीनामा पेश किया।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन [illegible] रने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः हस्व दावा मौजा सरहद पीपला का बास के खेत खसरा संख्या 294 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मु. कुआ, खसरा संख्या 295 रकबा 0. 1200 हैक्टर, खसरा संख्या 296 रकबा 13.6600 हैक्टर। वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। दावा नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
(नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
(नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 35/2019 दायर दिनाँक 23.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुरेश पुत्र शिवलाल 2. शान्ति पत्नि शिवलाल 3. कुलदीप पुत्र सुरेश नाबालिग जरिये कुदरती पिता सुरेश पुत्र शिवलाल समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शिवलाल पुत्र स्व. गणेशाराम जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनाँक 13.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओम प्रकाश पूनियां वकील वादी व श्री दुर्जाराम पुनियां वकील प्रतिवादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा मौजा सरहद पीपला का बास के खेत खसरा संख्या 294 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मु. कुआ, खसरा संख्या 295 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 296 रकबा 13.6600 हैक्टर। वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग—अलग खातेदारी घोषित की जाती है। दावा नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।
नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकान चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner